

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़

वाद संख्या 3/51/17

अनुवान

1.सूल्या पुत्र रमशी जाति बलाई वगैरा ग्राम दूंदपूरी तहसील राजगढ़प्रार्थी
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार राजगढ़अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

दिनांक 22.05.2018



आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़ पर वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ व पटवारी हल्का तिलवाड़ के अनुसार उक्त प्रकरण से संबंधित दुरस्ती की कार्यवाही से प्रीमिशन जमाबंदी तैयार करते समय कर दी गई है इसलिए कार्यवाही प्रकरण ड्राप करने का निवेदन किया। तहसीलदार राजगढ़ के आधार पर प्रकरण में आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रकरण ड्राप की जाती है। पत्रावली न0 से कम होकर जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट तिलवाड़ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट तिलवाड़